T.S – 11/2009

16-10-2019 वाद पुकारा गया। उभय पक्षों की हाजरी है। यह अभिलेख वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 24.07.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। इसका प्रत्युत्तर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.10.2019 को दिया गया है। वादी के अधिवक्ता के कथन है कि वादी के द्वारा दाखिल इस वाद में कुछ कागजात लोक दस्तावेज के श्रेणी में आते हैं। अतः वादी का दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित किया जाय। जिसमें वादी द्वारा आर0 एस0 खातियान , मौजा – खानपुर, थाना नं0 – 198, खाता नं0 188 जो कि हरी मंडल S/O – रितलाल मंडल के नाम से है एवं दूसरा खातियान मौजा – खानपुर, थाना नं0 – 198, खाता नं0 – 115 जो कि मुंगा देवी W/O – हरीलाल मंडल के नाम से है। इसके अलावा वादी द्वारा शंकर प्रसाद मंडल का जाति प्रमाण पत्र नं0 788 दिनांक 25.03.1998 को अंचलाधिकारी पीरपैंती द्वारा निर्गत एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या –985 दिनांक 02.04.1998 अंचल कार्यालय पीरपैंती द्वारा निर्गत दस्तावेज दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज है, इसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में वादी के उक्त आवेदन का विरोध किया है प्रतिवादी का कहना है कि अंचल कार्यालय द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वे लोक दस्तावेज के श्रेणी में नहीं आता है। अतः उसे प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता ।

अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सह विस्तार सुना। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा जो दस्तावेज खातियान के रूप में दाखिल किया गया है, वह धारा 74 साक्ष्य अधिनियम के तहत लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है जिसे विधिक रूप से प्रदर्श अंकित किया जा सकता है। जबकि अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को उचित रूप से दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह लोक दस्तावेज के श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए इसे प्रदर्श के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता। अतः वादी के आवेदन के आलोक में वादी द्वारा दाखिल खातियान जो कि हरी मंडल के नाम से है उसे प्रदर्श– 1 एवं दूसरा खातियान जो मूंगा देवी के नाम से है उसे प्रदर्श –2 अंकित किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अगली तिथि में अपने गवाही पूरी करे।

वाद दिनांक वादी को गवाह हेतु।

मुंसिफ